वेतन पुनरीक्षण/संशोधन/उच्चीकरण /वेतन विसंगतियाँ

विषय सूची

क0 सं0	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में स्पष्टीकरण	सं0 302/xxvii(7)/2009 दिनांक 27 अक्टूबर, 2009	81–86
2.	छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 1.1. 2006 के पूर्व रू0 6500–10500 के वेतनमान को रू0 7450–11500 वेतन वैण्ड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600 में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में	सं0 483/xxvii(7)द्वि0प्र0/ 2010, दिनांक 12 मार्च, 2010	87–88
3.	आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमान सम्बन्धी	अ0शा0 पत्रांक 489/xxvii(7) /2010, दिनांक 12 मार्च, 2010	89–90
4.	वेतन विसंगति समिति के तृतीय प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 530/xxvii(7)तृ0प्रति0 /2010, दिनांक 25 मई, 2010	91–92
5.	वेतन विसंगति समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के मानचित्रकार संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 613/xxvii(7)च0प्र0/ 2010 दिनांक 24 जून, 2010	93–94
6.	लोक निर्माण विभाग , सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहाँ कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षण अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287/गxvii(7)/का0प्र0/ दिनांक 12 नवम्बर, 2009, एवं 511/xxvii(7)/2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2010 का स्पष्टीकरण	सं0 574/xxvii(7)/ 2010 दिनांक 06जुलाई, 2010	95–98
7.	वेतन विसंगति समिति के पंचम प्रतिवेदन में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता(पुरूष/महिला) के कार्मिकों की वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिए गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 617/xxvii(7)प0प्रति0 /2010, दिनांक 14 जुलाई, 2010	99–100
8.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता(पुरूष/महिला)के कार्मिकों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में	सं0 513/xxvii–3–2010–200 /2007, दिनांक 16 जुलाई, 2010	101–102
9.	छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय अवशेष एरियर का भुगतान	सं0 413/xxvii(1)/2010 दिनांक 20 जुलाई, 2010	103–104

10.	दिनांक 1.1.2006 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन वैण्डों में वेतन निर्धारण का स्पष्टीकरण	सं0 598/xxvii(7)च0प्र0/2010 दिनांक 20जुलाई, 2010	105–106
11.	वेतन विसंगति समिति के सातवें प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों के वेतन विसंगति के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 669/ xxvii (7) स0प्रति0/2010, दिनांक 27 सितम्बर, 2010	107–108
12.	वेतन विसंगति समिति के छठवें प्रतिवेदन में चिकित्सा विभाग द्वारा एक्सरे टैक्नीशियन की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गय निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 708/xxvii (7) छ0प्र0/2010, दिनांक 07 अक्टूबर, 2010	109–110
13.	वेतन विसंगति समिति के छठवें प्रतिवेदन में उत्तरांचल वन विकास निगम में लेखा संवर्ग के पदों की वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 710/xxvii(7)/छ0प्रति0/2010, दिनांक 07 अक्टूबर, 2010	111–112
14.	वेतन विसंगति समिति के छठवें प्रतिवेदन में मत्स्य विकास अभिकरण कार्मिकों को पंचम वेतनमान अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 711/xxvii(7)छ0प्रति0/2010, दिनांक 07 अक्टूबर, 2010	113–114
15.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में	सं0 693/xxvii(7)/2010 दिनांक 21 अक्टूबर, 2010	115–136
16.	चिकित्सा विभाग के एक्स–रे टैक्नीशियन के वेतनमान को संशोधित किये जाने के संबंध में	सं01055/xxviii–3–2010–84/2010, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010	137–138
17.	वेतन विसंगति समिति के छठवें प्रविवेदन में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कार्मिकों को पंचम वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में	सं0 2761/xv–2/1(04)/2006दिनांक 8 नवम्बर, 2010	139–140
18.	उत्तरांचल वन विकास निगम के लेखा सम्वर्ग के पदो के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में	सं0 986/x–3–10–4(33)/2005, दिनांक 22 नवम्बर,2010	141–142
19.	राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों (सहायता प्राप्त महाविद्यालय/विश्व विद्यालय) को दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17अक्टूबर 2008 का स्पष्टीकरण	सं0 731 /xxvii(7)/2010 दिनांक 08 दिसम्बर, 2010	143–144
20.	प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढॉचे के पुर्नगठन में लिए गये निर्णय का कार्यान्वयन	सं0 795/xxvii(7)/2010 दिनांक 16 दिसम्बर, 2010	145–146
21.	वेतन विसंगति समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक संवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में ।	सं0 857/xxvii(7)/न0 प्रति/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011	147–148

22.	वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों से इतर स्वायत्तशाासी संस्थाओं/निगमों के वेतन रू0 6500–10500 का रू0 7450–11500 संशोधन के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 861/xxvii(7)न0प्रति0/ 2010दिनांक 08 मार्च,2011	149–150
23.	वेतन विसंगति समिति द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य के विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 862/xxvii(7)न0प्रति0/ 2011दिनांक 08 मार्च, 2011	151–152
24.	वेतन विसंगति समिति द्वारा पंचायतीराज विभाग के जिला पंयाचतों में लेखा संवग के पदों पर राजकीय विभाग के लेखा संवर्ग के पदो के समान वेतनमान व संवर्गीय ढॉचा अनुमन्य किये जाने के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 863/xxvii(7)न0प्रति0/ 2011, दिनांक 08 मार्च,2011	153–154
25.	वेतन विसंगति समिति द्वारा चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग को नानफंक्शनल वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 865/xxvii(7)न0प्रति0/ 2011, दिनांक 08 मार्च, 2011	155–156
26.	वेतन विसंगति समिति द्वारा चिकित्सा विभाग के डेन्टल हाईजिनिस्ट पद के वेतनमान पूर्व की तिथि से दिये जाने के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 867/xxvii(7)न0प्रति0/ 2011, दिनांक 08 मार्च, 2011	157–158
27.	वेतन विसंगति समिति द्वारा वित्त आयोग निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों को सचिवालय कार्मिकों के समान सचिवालय भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 868/xxvii (7)/न0प्रति0/ 2011, दिनांक 08 मार्च, 2011	159–160
28.	वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के तकनीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 873/xxvii(7)न0प्रति0/ 2011, दिनांक 08 मार्च, 2011	161–164
29.	वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के सांख्यकीय संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 874/xxvii(7)न0प्रति0/ 2011, दिनांक 08 मार्च, 2011	165–166
30.	वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग केसंबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	सं0 875/xxvii(7)/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011	167–170
31.	वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के कम में विद्यालयी शिक्षा के प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारियों के दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमानों का उच्चीकरण/संशोधन	सं0 254/xxiv–2/11–9(09) 2009 दिनांक 11 मार्च, 2011	171–172
32.	दिनांक 1.1.2006 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण को निरस्त किया जाना	सं0 854/xxvii(7)/ 2011, दिनांक 21 मार्च,2011	173–174

33.	राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन /उच्चीकरण के सम्बन्ध में	सं0 877/xxvii(7)/ /2011, दिनांक 24मार्च,2011	175–176
34.	राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 877/xxvii(7)च0श्रे0 दिनांक 24 मार्च, 2011 का संशोधन	सं0 888/xxvii(7) च0श्रे0/ 2011, दिनांक 24 मार्च, 2011	177–178
35.	वेतन विसंगति समिति के 11वें प्रतिवेदन में राजकीय वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य हो गया है। उन्हें एक बार के लिये वाहन चालक ग्रेड–1 में उच्चीकरण किया जाना।	सं0893/40(xi)/xxvii(7)/ 11वां प्रति0/2011 दिनांक 29 मार्च, 2011	179–180
36.	वेतन विसंगति समिति द्वारा चिकित्सा विभाग के नर्सिंग संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0891/40(x)/xxvii(7)/ दस प्रति0/2011 दिनांकः 30 मार्च, 2011	181–182
37.	चिकित्सा विभाग के डेन्टल हाईजीनिस्ट को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ पूर्व की तिथि से अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में	सं0 246/xxviii–3–2011–47 /2008 दिनांक31 मार्च, 2011	183–184
38.	चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्टों को नॉनफंक्सनल वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में	सं0 319/xxviii–3–2011– 142/2008, दिनांक 05 अप्रैल, 2011	185–186
39.	राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन का दिनांक 01.01.2006 से काल्पनिक आधार पर तथा दिनांक 24.03.2011 से वास्तविक आधार पर संशोधन	सं0 07/xxvii(7)/27(v)/ 2011, दिनांक 06 अप्रैल, 2011	187–188
40.	चिकित्सा विभाग के नर्सिंग संवर्ग के पदों का वेतनमान/पदनाम उच्चीकृत/संशोधित किये जाने के संबंध में	सं0 1331/xxviii–3–2011– 104/2008,दिनांक 10 मई, 2011	189–190
41	छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	संख्या–50/xxvii(7)30(I)(2) /2011दिनांकः 11 मई, 2011	191–192

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:302/xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांक:27 अक्टूबर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न शैक्षिक पदधारकों द्वारा छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदो पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है:–

जिज्ञासायें	स्पष्टीकरण
1.शासनादेश सं0 74/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च, 2009 के संलग्नक–1 के स्तम्भ–4 में वर्तमान वेतन के सापेक्ष उच्चीकृत वेतनमान में दिनांक 1–1–2006 से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को प्रथमतः वेतन निर्धारण 1–1– 2006 को प्राकल्पित आधार पर किया जाएगा अथवा नही? अर्थात दिनांक 1–1–2006 से उच्चीकृत किये गये वेतनमानों यथा रू0 6500–10500, रू0 7450–11500,रू0 7500–12000 आदि का वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–2 में उक्त उच्चीकृत वेतनमानों की ही फिटमेन्ट तालिका के अनुसार होगा या आहरित वेतन के आधार पर आगणित वेतन पर मात्र ग्रेड वेतन जोड़कर होगा?	शासनादेश दिनांक 01 मार्च,2009 के अनुसार विकल्प देने वाले शिक्षकों का दिनांक 1–1–2006 से वेतन प्राकल्पित आधार पर निर्धारित केया गया जाएगा। दिनांक 1–1–2006 से उच्चीकृत किये गये वेतनमानों में प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक वेतनमान रू0 4500–7000 का प्रतिस्थापित वेतनमान पे–बैण्ड–1 में है । अतः दिनांक 31–12–2005 में जिस वेतनमान में थे उस वेतनमान के निर्धारित सोपान(Stage) हेतु दिनांक 1–1–2006 से Fitment Table भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है जिन प्रकरणों में उच्चीकरण दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद किये गये हैं ऐसे प्रकरणों में दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद जैसी भी

स्थिति हो के अनुसार यदि एक ही पे–बैण्ड में उच्चीकरण है तब मात्र ग्रेड–पे में परिवर्तन होगा परन्तु उच्चीकरण यदि दूसरे पे–बैण्ड में है तब दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद पे–बैण्ड के न्यूनतम एवं उच्चीकृत ग्रेड पे देय होगा उदाहरणार्थ– एक शिक्षक दिनांक 31–12–2005 को रू0 4500–7000 में था जिसे दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान रू0 6500–10500 के ग्रेड–पे रू0 4200 में उच्चीकृत किया गया इस प्रकरण में प्रथमतः दिनांक 1–1–2006 को रू0 4500–7000 के निश्चित सोपान पर फिटमेन्ट टेबिल से पुनरीक्षित करने पर यदि स्तर रू0 9300 से कम आता है(पे–बैण्ड–2 रू0 9300– 34800) तब रू0 9300 या इससे अधिक है तब उसी स्तर पर ग्रेड–पे रू0 2800 के स्थान पर रू0 4200 किया जाएगा चूँकि दिनांक 1–1–2006 से नोशनल तथा दिनांक 1–4–2009 से वास्तविक लाभ देय है ऐसी स्थिति में दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद से दिनांक 31–3–2009 तक नोशनली वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़कर दिनांक 1–4–2009 से वास्तविक भुगतान किया जाय।

2.दिनांक 1–1–2006 अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण सीधे छठवें वेतन आयोग की संस्तुति पर पुनरीक्षित संरचना में वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के आधार पर किया जाना है।

दिनांक 1–1–2006 अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण सीधे छठवें वेतन आयोग की संस्तुति पर पुनरीक्षित संरचना में वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन, वित्त(वे0आ0–

अथवा शासनादेश सं074 (उच्चीकृत वेतन) 1मार्च,2009 के द्वारा शैक्षिणक पदों के दिनांक 1–1–2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमान (रिप्लेस मेंन्ट स्केल) का उच्चीकरण किये जाने के फलस्वरूव उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के संदर्भ में शासनादेश सं0 41/xxvii(7)/ 2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 का अनुसरण किया जाएगा ।

(क)वर्तमान वेतनमान रू0 6500 –10500, उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 में रू04800 का ग्रेड वेतन जोड़कर दिनांक 20–4–2006 को वेतन रू0 14100 निर्धारित किया जाएगा। अथवा

(ख)शासनादेश सं0:395/xxvii (7)/ 2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के साथ पठित सीधी भर्ती के शासनादेश सं0 41 xxvii(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के अनुसार दिनांक 20–4–2006 को रू0 13350 में रू0 4800 का ग्रेड–पे जोड़कर रू0 18150 पर निर्धारित किया जाएगा।

3.शासनादेश सं0 74/xxvii(7)/ 2009, दिनांक 1 मार्च,2009 के अधीन सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश सं0 41/ xxvii(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के आधार पर किया जाएगा तथा तत्पश्चात वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश सं0 74/xxvii(7) /2009 दिनांक 1मार्च,2009 के साथ संलग्नक–1 के अनुसार उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण सम्मुख कालम–1 में बिन्दु के अंश'ख' के अनुसार किया जाएगा क्योंकि नियुक्ति के समय वेतन रू0 6500–10500 था लेकिन यदि वह विकल्प दिनांक 1 मार्च,2009 के शासनादेश के अनुसार देता है तब रू0 7500–12000 के वेतनमान में सीधी भर्ती विषयक शासनादेश सं041 xxvii(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के अनुसार रू0 7500–12000 के वेतनमान में रू0 13350 के वेतन बैण्ड में रू0 4800 की ग्रेड पे जोड़कर वेतन का आगणन किया जायेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में पदधारक को कोई एरियर देय नहीं होगा और यदि एरियर भुगतान किया जा चुका है, तो वह मय ब्याज के राजकोष में जमा किया जायेगा। अर्थात दिनांक 20–4–2006 को रू0 6500–10500 के वेतनमान में नियुक्त प्रवक्ता का वेतन किस प्रकिया के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा:–

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश सं0 395/ xxvii(7)/

दिनांक 1–1–2006 से पूर्व कार्यरत शिक्षकों को मात्र ग्रेड–वेतन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की स्थिति में 1–1–2006 के पश्चात नियुक्ति शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त करेगें?

4.अप्रशिक्षित वेतन रूपये 2750 नियत में कार्यरत शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित छठे केन्द्रीय वेतनमानों में कोई वेतन नहीं दिया गया है संबंधित शिक्षकों को दिनांक 1–1–2006 से वेतन का भुगतान किस रूप में किया जाएगा?

2009 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–27 के आधार पर यदि सभी परिस्थितियॉ समान हो तथा पूर्व से वरिष्ठ कार्मिक कनिष्ठ कार्मिक से अधिक या समान वेतन पा रहा हो तब वरिष्ठ कर्मचारी का कनिष्ठ के बराबर वेतन निर्धारित किया जाएगा। वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश सं0 395/ xxvii(7) /2009 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 के कालम–2 में अपुनरीक्षित वेतनमान–2750–4400 के कालम–4 के सादृश्य वेतन बैण्ड रू05200–20200 में नियत वेतन पर कार्यरत कार्मिक को उक्त वेतन बैण्ड का न्यूनतम रू0 5200 की दर से नियत वेतन तात्कालिक प्रभाव से देय होगा।

2. अतः वेतन पुनरीक्षण करने वाले विद्यालयों शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अस्पष्ट बिन्दुओं पर अब उक्तवत दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षण की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करें । यदि पूर्व में गलत वेतन पुनरीक्षण करने के फलस्वरूप किन्ही कार्मिकों को अधिक धनराशि के एरियर का भुगतान हो गया हो, तब उसके वेतन का उक्तवत् पुनरीक्षण कर अधिक भुगतान की गई धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्या :302 (1)/XXVII(7)/2009 तददिनॉक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक विद्यालयी शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
6. माध्यमिक/बेसिक शिक्षा अनुभाग,उत्तराखण्ड सचिवालय ।
7. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या:463/xxvii(7)/द्वि0प्रति0/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक12 मार्च,2010

विषयः–छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01–01–2006 के पूर्व रू0 6500–10500 के वेतनमान को रू0 7450–11500 वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600 में उच्चीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद यह छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13–11–2009 द्वारा दिनांक 1–1–2006 के पूर्व रू0 6500–10500 के वेतनमान को रू0 7450–11500 में उच्चीकृत करते हुए नये वेतनमान में रू0 4600 की ग्रेड पे स्वीकृत की गयी है उक्त के आलोक में वेतन विसंगति समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि जिन–जिन विभागों में रू0 6500–10500 के वेतनमान के पद उपलब्ध हैं के वेतनमान को भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा उच्चीकृत किये गये वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग अपने प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रेषित करेंगें, जिस पर वित्त विभागं द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

शरद चन्द्र पाण्डेय,
अपर सचिव।

अर्द्धशा0प0स0 489 / xxvii(7) / 2010
उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
देहरादूनः दिनांक 12 मार्च, 2010

प्रिय महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेंतन विसंगति समिति के द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्श करने के बाद यह संस्तुति की है कि आशुलिपिक संवर्ग में दिनांक 1–1–1986 एवं दिनांक 31–3–1989 के मध्य उपलब्ध पदों के आधार पर दिनांक 1–1–1986 से वेतनमान रू0 1200–2040 के स्थान पर रू0 1350–2200 का वेतनमान सभी को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा पुनः यह संस्तुति की गयी है कि केवल दिनांक 1–1–1986 से पूर्व रू0 470–735 वेतनमान में नियुक्त आशुलिपिकों को ही, जब तक उन्हें समयमान वेतनमान या प्रोन्नति वेतनमान न मिल जाय व्यक्तिगत रूप में दिनांक 1–1–1986 से रू01350–2200 तथा दिनांक 1–1–1996 से रू04500–7000 का वेतनमान अनुमन्य होगा।

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

भवदीय,
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्याः– 530 / xxvii (7) / तृ0प्रति0 / 2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

सचिव,
सचिवालय प्रशासन,
उत्तराखण्ड शासन

वित्त– (वे0आ0सा0नि0) अनु0–07 देहरादून दिनांक 25मई, 2010

विषयः– वेतन विसंगति समिति के तृतीय प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी की वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी के वेतनमान के संबंध में विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1. सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 4500–7000 के स्थान पर अगले उच्चीकृत वेतनमान रू0 5000–8000 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन वैण्ड–2 (रू0 9300–34800),एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तात्कालिक प्रभाव से उच्चीकृत करने की संस्तुति करती है । उक्त के आलोक में समिति अब सहायक समीक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों हेतु निम्नानुसार शैक्षिक एवं अन्य अर्हता निम्नवत रखने की भी संस्तुति करती है :–

   स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोयक(DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''ओ'' स्तर का प्रमाण–पत्र तथा हिन्दी कम्प्यूटर टंकण में न्यूनतम 4000 क–डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति तथा कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति अनिवार्य होगी ।

2. कनिष्ठ लिपिक, टंकक / कम्प्यूटर आपरेटर पद के भर्ती का स्रोत, शैक्षिक योग्यता तथा कार्य एवं दायित्व एवं वेतनमान सचिवलाय एवं समस्त प्रदेश में एक समान हैं तथा भारत सरकार में भी उक्त पद के पैरिटी के पद का वेतनमान उच्चीकृत नहीं किया गया है अतः सचिवालय के कनिष्ठ लिपिक, टंकक, कम्प्यूटर आपरेटर के पदों का वेतनमान उच्चीकृत किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है ।

भवदीया,

राधा रतूड़ी
सचिव

संख्या:63/XXVII(7)च0प्रति0/2010

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 24 जून,2010

विषयः–वेतन विसंगति समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के मानचित्रकार संवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विंसगति समिति के द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के मानचित्रकार संवर्ग के वेतनमान के संबंध में विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के आधार पर सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्याः1793/11–2008–01(28)/2005 दिनांक 08 जुलाई,2009 सिंचाई विभाग के प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के वेतनमान रू0 4000–6000 को उच्चीकृत करते हुए भारत सरकार की पैरिटी के आधार पर रू0 5000–8000 कर दिया गया है प्रदेश में अन्य विभागों में मानचित्रकार का एक समान संवर्ग है जिनका भर्ती का स्रोत्र शैक्षिक योग्यता एवं कार्य एवं उत्तर दायित्व समान है। अतः जिस प्रकार सिंचाई विभाग के मानचित्रकार के वेतनमान को भारत से पैरिटी के आधार पर उच्चीकृत किया गया है उसी प्रकार प्रदेश के अन्य विभागों के मानचित्रकारों की शैक्षिक योग्यता, भर्ती का स्रेत तथा कार्य एवं दायित्व एक समान होने पर अन्य विभागों के मानचित्रकारों के वेतनमान भी तात्कालिक प्रभाव से उच्चीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। संबंधित विभाग उक्तानुसार प्रस्ताव वित्त विभाग में प्रस्तुत करेगें।

वन विभाग में मानचित्रकार पद का पदोन्नति का पद प्रधान मानचित्रकार वेतनमान रू0 4500–7000 में सृजित है जबकि अन्य विभागों में मानिचत्रकार के पदोन्नति का पद वेतनमान रू0 5000–8000 में सृजित है अतः ऐसी स्थिति में अन्य विभागों की भांति वन विभाग में भी प्रधान मानचित्रकार के पद के वेतनमान को भी वेतनमान रू0 5000–8000 में उच्चीकृत किये जाने की भी संस्तुति की जाती है।

2– उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जाएगा।

भवदीय,

(एल0एम पन्त) 24/6/10
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 574/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांकः 06 जुलाई, 2010

स्पष्टीकरण

विषयः–लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान है के कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 एवं 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 का स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 के संबंध में कर्मचारी संघ द्वारा अपने ज्ञापनों में नियमित कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ते, वार्षिक वेतन वृद्वि, ग्रेड पे दिये जाने के साथ–साथ मृत्यु अथवा सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अवशेष नकद भुगतान किये जाने एवं दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्ति प्राप्त कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने, एवं स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 की तालिका 1,2 एवं 3 में संशोधन किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

कार्यप्रभारित कर्मचारी संघ द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 की तालिका संख्याः 1 को संशोधित एवं 2 एवं 3 को निरस्त करते हुए कार्यप्रभारित कर्मचारियों की संहत वेतन सीमा निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) संहत वेतन की अधिकतम सीमा की गणना में मूल वेतन,विशेष वेतन, अवकाश वेतन तथा मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा,किन्तु अन्य भत्ते संहत वेतन की सीमा से बाहर होंगें।

(ii) कार्यप्रभारित कार्मिकों को मंहगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता एवं परिवार नियोजन भत्ता राज्य कर्मचारियों के लिए अनुमन्य दरों के अनुसार उसी तिथि एवं दर से देय होगा जिस तिथि से राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य कराया गया है।

(iii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्वि एवं ग्रेड पे की दर एवं तिथि उसी प्रकार होगी जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है।

(iv) शासनादेश संख्या 287/xxvii(7) का0 प्रभा0/2009 दिनांकः 12 नवम्बर, 2009 तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 उन सभी कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर लागू होगें जो कि दिनांक 01–01–2006 से पूर्व एवं दिनांक 01–01–2006 तथा इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं।

(v) राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत एवं मृत्य सेवानिवृत कर्मचारियों को जिस प्रकार छठे वेतनमान का ऐरियर भुगतान किया गया हैं उसी प्रकार कार्यप्रभारित सेवानिवृत एवं मृत्य कर्मचारियों के ऐरियर का भुगतान किया जाएगा ।

(vi) वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांकः 09 अप्रैल, 2010 की तालिका–1 निम्नानुसार संशोधित की जाती है।

तालिका–1

मौजूदा संशोधित वेतन संरचना			संशोधित वेतनमान (रूपये में)		
क्र. सं.	वेतनमान (रूपये) जिसके आधार पर संहत वेतन निर्धारित था	दिनांक 1–1–2006 के पूर्व वेतनमान में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रू0)	वेतन बैण्ड/वेतन नमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान	दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रू0)
1	2	3	4	5	6
1.	2550–3200	3200	–1 एस	4440–7440	7260
2.	2610–3540	3540	–1 एस	4440–7440	7990
3.	2650–4000	4000	–1 एस	4440–7440	9090
4.	2750–4400	4400	–1 एस	5200–20200	9990
5.	3050–4590	4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	10440
6.	3200–4900	4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	11120
7.	4000–6000	6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	13560
8.	4500–7000	7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	15820
9.	5000–8000	8000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	19080

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या 574 (1) / XXVII(7) / 2010 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक निमार्ण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एंव अन्य अनुभाग जहां कार्यप्रभारित कार्मिक कार्यरत हैं।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्याः– 617 / xxvii (7) / पं0प्रति0 / 2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण,
आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

वित्त– (वे0आ0सा0नि0) अनु0–07 देहरादून दिनांक 14 जुलाई, 2010

विषयः– वेतन विसंगति समिति के पंचम प्रतिवेदन में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकता (पुरूष / महिला)के कार्मिकों की वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता(पुरूष / महिला)के कार्मिकों के वेतनमान के संबंध में विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

स्तम्भ–1 (पूर्व के वेतनमान)	स्तम्भ–2 (पुनरीक्षित वेतनमान)
(एक) 01.07 1979 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 354–550	(एक) 01.07.1979 से – स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष)और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0400–10–450–12–474–द0रो0–0–12–570–15–615
(दो) 23.07.1981 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला रू0400–10–450–12–474–द0रो0–12–570–15–615	(दो) 23.07.1981 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 470–15–575–द0रो0–15–650–17–701 द0रो0–735
(तीन) 01.01.1986 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 975–25–1150–द0रो0–30–1660	(तीन) 01.01.1986 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू01350–30–1440–40–1800–द0रो0–50–2200

(चार) 01.01.1996 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 3200–85–4900	(चार) 01.01.1996 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 4500–125–7000

समिति के द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 01.12.1997 एवं 08.01.2008 के अनुक्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.09.2008 के द्वारा अपास्त की गई विशेष अपील के दृष्टिगत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के कार्मिकों के पदो के वेतनमान उपरिउल्लिखित तालिका की स्तम्भ–1 में अंकित वेतनमानों को स्तम्भ–2 के अनुसार प्राकल्पित आधार पर तथा दिनांक 01.07.2010 से वास्तविक रूप से पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की जाती है ।

2. उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जाएगा ।

भवदीया,

राधा रतूड़ी
सचिव

संख्या- 513 /XXVIII-3-2010-200/2007

प्रषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 16 जुलाई, 2010

विषय: **चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष/महिला) के कार्मिकों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 01.12.1997 एवं 08.01.2008 के अनुक्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.09.2008 के माध्यम से अपील की गयी विशेष अपील के दृष्टिगत् प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के आधार पर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष/महिला) के कार्मिकों के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में अंकित वेतनमानों को स्तम्भ-2 के अनुसार प्राकल्पित आधार पर तथा दिनांक 01.07.2010 से वास्तविक रूप से पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

स्तम्भ-1 (पूर्व वेतनमान)	स्तम्भ-2 (पुनरीक्षित वेतनमान)
(एक) 01.07.1979 से- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 354-550	(एक) 01.07.1979 से- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 400-10-450-12-474-द0रो0-12-570-15-615
(दो) 23.07.1981 से- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 400-10-450-12-474-द0रो0-12-570-द0रो0-15-615	(दो) 23.07.1981 से- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 470-15-575-द0रो0-15-650-17-701-द0रो0-735

(तीन) 01.01.1986 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 975-25-1150-द0रो0-30-1660 (चार) 01.01.1996 से- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 3200-85-4900	(तीन) 01.01.1986 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 1350-30-1440-40-1800-द0रो0-50-2200 (चार) 01.01.1996 से- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रू0 4500-125-7000

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-2943/XXVII(7)प0प्रति0/ /2010, दिनांक 16.07.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

प0संख्या-513 /XXVIII-3-2010-200/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड सहारनपुर रोड मालदा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
8. वित्त वे0आ0-सा0नि0 अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 200 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
11. श्रीमती गुड्डी मटूड़ा, प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड, मातृ-शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी एसोशियेशन प्रा0स्वा0के0 डुन्डा, उत्तरकाशी
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्या–413 / XXVII(1) / 20

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक: 20 जुलाई, 2010

विषयः– छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय अवशेष एरियर का भुगतान।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–392 / XXVII(1) / 2010 दिनांक 13 जुलाई, 2010 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के पंक्ति–5 में उल्लिखित "देय 30 **प्रतिशत अवशेष वेतन / पेंशन एरियर**" के स्थान पर "देय 30 **प्रतिशत अवशेष वेतन एरियर**" तथा पंक्ति–8 में उल्लिखित "**राज्य के जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के 06 माह या इससे कम शेष है,**" के स्थान पर "**राज्य के पेंशनर्स का अवशेष एरियर एवं राज्य के जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के 06 माह या इससे कम शेष है,**" पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्ते यथावत रहेगी।

संलग्नक : **यथोक्त।**

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

संख्या 413 (1) / XXVII(1) / 2010 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमाँऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. शासन के समस्त अनुभाग।
10. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
11. स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः598 / xxvii(7) / 2010
देहरादून, दिनांकः20 जुलाई,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–दिनांक 01–01–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण का स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषयक छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश संख्याः 395 / xxvii(7) / 2010 दिनांकः 17 अक्टूबर,2008 के क्रम में दिनांक 01–01–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण हेतु शासनादेश संख्याः 41 / xxvii (7) / 2010 दिनांकः 13 फरवरी,2009 ही निर्गत किया गया, परन्तु इसमें वेतन निर्धारण की कट ऑफ डेट का उल्लेख नहीं हो पाया है।

अतः उक्त के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित निर्गत शासनादेश संख्याः 395 / xxvii (7) / 2010 दिनांकः 17 अक्टूबर,2008 को आधार मानते हुए कट ऑफ डेट 17 अक्टूबर, 2008 रखते हुए इस तिथि के पूर्व नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण संबंधित शासनादेश संख्याः 41 / xxvii (7) / 2010 दिनांकः 13 फरवरी,2009 की निहित व्यवस्थानुसार किया जाएगा तथा इस तिथि के बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का संशोधित वेतन ढॉचे में प्रविष्टि वेतन का निर्धारण संगत वेतन बैण्ड के न्यूनतम में ग्रेड वेतन को जोड़ते हुए निर्धारित किया जाएगा।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या : 598 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्याः 669 / XXVii(7)स0प्रति0 / 2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
उर्जा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 27 सितम्बर2010

विषयः–वेतन विसंगति समिति के सातवें प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड राज्य के तीनों उर्जा निगमों के वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसगति समिति के द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद उत्तराखण्ड राज्य के तीनों उर्जा निगमों के वेतनमान के संबंध में विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

"वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य के तीनों उर्जा निगमों में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप समान वेतन बैण्ड एवं समान ग्रेड वेतन में पदोन्नत हुए ऐसे कार्मिक जिन्हें पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन वृद्वि का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है ऐसे कार्मिकों के उच्च पद के दायित्व बोध एंव उत्साह को बनाए रखने हेतु उन्हें पुनरीक्षित वेतनमानों में एक वेतन वृद्वि का लाभ दिये जाने की संस्तुति की जाती है। संबंधित विभाग उक्तानुसार प्रस्ताव वित्त विभाग में प्रस्तुत करेगें"।

2– अतः अनुरोध है कि उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जाने हेतु आलेख प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 07 अक्टूबर,2010

विषयः–वेतन विसंगति समिति के छठवें प्रतिवेदन में चिकित्सा विभाग द्वारा एक्स–रे टेक्नीशियन की वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसगति समिति के समुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के एक्स–रे टेक्नीशियन की भारत सरकार के रेडियोग्राफर/एक्स–रे तकनीशियन से 1–1–86 से पद की शैक्षिक योग्यता,भर्ती का स्रोत तथा कार्य एवं दायित्वों के आधार पर पैरिटी रही है तथा भारत सरकार वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर,1997 द्वारा रेडियोग्राफर/एक्स–रे तकनीशियन के 1–1–86 को प्राप्त वेतनमान रू0 1350–30–1440 – 40–1800–द0रो0–50–2200 को रू0 5000–8000 में संशोधित किया है ।

अतः समिति द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद यह संस्तुति की है कि " चिकित्सा विभाग के एक्स–रे टेक्नीशियन की समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर 1–1–86 से भारत सरकार के रेडियोग्राफर/एक्स–रे तकनीशियन से शैक्षिक योग्यता,भर्ती का स्रोत तथा कार्य एवं दायित्वों के आधार पर पैरिटी के दृष्टिगत 1–1–86 को प्राप्त वेतनमान रू0 1350–30–1440–40–1800–द0रो0–50–2200 तथा 01 जनवरी,1996 को प्रतिस्थापित वेतनमान रू0 4500–7000 को दिनांक 1–1–96 से प्रभावी वेतनमान रू0 4500–7000 के स्थान पर 01 जनवरी,2006 से रू0 5000–8000 का उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200) प्राकल्पित आधार पर अनुमन्य करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01 सितम्बर,2010 से अनुमन्य किया जाए।"

2– अतः अनुरोध है कि उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जाने हेतु आलेख प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या: 710/XXVII(7)छ0प्रति0/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
वन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 07 अक्टूबर, 2010

विषयः–वेतन विसंगति समिति के छठवें प्रतिवेदन में उत्तराचंल वन विकास निगम में लेखा संवर्ग के पदों की वेतन विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विंसगति समिति के समुख तथ्य प्रस्तुत किये गये कि वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों के कम में उत्तराचंल वन विकास निगम में लेखा संवर्ग कें लेखाकार के पद के वेतनमान रू0 5000–8000 को राज्य के लेखाकार के समान वेतनमान रू0 5500–9000 तथा सहायक लेखा प्रबन्धक पद का वेतनमान रू0 6375–9000 को राज्य के राजकीय विभागो के सहायक लेखाधिकारी के समकक्ष वेतनमान रू0 7500–12000 में उच्चीकृत किये जाने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि उत्तराचंल वन विकास निगम के लेखा संवर्ग के लेखाकार एवं सहायक लेखा प्रबन्धक पद की शैक्षिक योग्यता भर्ती का स्रोत तथा कार्य एवं दायित्व राज्य सरकार के कमशः लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी के समान हैं तथा यह भी तथ्य प्रस्तुत किये गये कि वेतन समिति (1997) की संस्तुतियों के कम में राज्य के राजकीय विभागों एवं कतिपय निगमों के लेखा संवर्ग में लेखाकारों एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों के वेतनमान कमंशः रू0 5500–9000, रू07500–12000 में संशोधित किया गया है।

अतः समिति द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्शोपरान्त यह संस्तुति की गई है कि वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों के कम में प्रदेश के राजकीय विभागों एवं निगमों में पदों एवं वेतनमानों में एकरूपता बनी रहे फलस्वरूप उत्तराचंल वन विकास निगम में लेखा संवर्ग में लेखाकार पद का वेतनमान रू0 5000–8000 संशोधित करते हुए रू0 5500–9000 दिनांक 1–4–2001 से प्राकल्पित तथा दिनांक 1–9–2010 से वास्तविक तथा सहायक लेखा प्रबन्धक पद के वेतनमान रू0 6375–9000 को संशोधित करते हुए रू0 7450–225–11500 दिनांक 1–4–2001 से प्राकल्पित तथा वेतनमान रू07450–225–11500 को रू0 7500–1200 पुनरीक्षित वेतन बैण्ड–2 ग्रेड पे रू0 4800 दिनांक 1–1–2006 से प्राकल्पित आधार पर तथा दिनांक 1–9–2010 से वास्तविक रूप से भुगतान किया जाए।

2– अतः अनुरोध है कि उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जाने हेतु आलेख प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः 711 / xxvii(7)छ0प्रति0 / 2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांक 07 अक्टूबर, 2010

विषयः–वेतन विसंगति समिति के छठवें प्रतिवेदन में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत मत्स्य विकास अभिकरण कार्मिको को पंचम वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विंसगति समिति के समुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 02/प0म0ड0–मत्स्य/2002 दिनांक 22–4–2003 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय मत्स्य पशुपालन विकास अभिकरण का गठन किया गया तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उद्यम अनु0–1 के शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर,1989, दिनांक 30 जनवरी,1990 के आधार पर उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 के कार्यालय आदेश दिनांक 22 मार्च,1990 के द्वारा विभाग के अन्तर्गत मत्स्य विभाग के कार्मिकों को चतुर्थ वेतनमान दिय जाने के संबंध में समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 01–01–86 से चतुर्थ वेतनमान अनुमन्य किये गये हैं।

अतः समिति द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्शोपरान्त यह संस्तुति की गई है कि "मत्स्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को दिनाक 1–1–86 को प्राप्त वेतनमान को दिनांक 1–1–96 से प्रभावी पंचम वेतनमान प्राकल्पित आधार पर अनुमन्य करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01 जनवरी,2006 से अनुमन्य किया जाए। दिनांक 01–01–2006 से छठे वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें।"

2– अतः अनुरोध है कि उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जाने हेतु आलेख प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:693/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांक 21 अक्टूबर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–छठे केन्द्रीय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न शैक्षिक कर्मचारी संघो द्वारा छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक पदों पर वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है:–

जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1–दिनांक 1–1–2006 से पूर्व नियुक्त वरिष्ठ शिक्षकों को दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात कनिष्ठों शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त हो रहा है अतः उत्तर प्रदेश शासन के वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2–1273 (1)/दस -- 59 (एम)/2009 दिनांक 07 सितम्बर,2009 के साथ संलग्न फिटमेन्ट तालिका के आधार पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 74/xxvii(7)/2009 दिनांक 01 मार्च,2009 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू किये जाने के संबंध में भी उक्तानुसार फिटमेन्ट तालिका निर्गत की जाय।	वेतन समिति, 2008 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विधालयी शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या:74/ XXVII(7) /2009 दिनांक 1 मार्च,2009 द्वारा पुनरीक्षण वेतन संरचना में दिनांक 1 जनवरी,2006 से वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई। उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में दिनांक 1 जनवरी,2006 से प्राकल्पित आधार पर शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 एवं शासनादेश संख्या:25/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित करते हुए दिनांक 1–4–2009 से वास्तविक रूप से भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है। शासनादेश संख्या:395/ XXVII (7) /2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित किये जाने से कतिपय मामलों में दिनांक 1 जनवरी,2006 के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों का वेतन 1 जनवरी,2006 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों के वेतन से कम होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः उक्तानुसार विधालयी शिक्षा विभाग के शिक्षकों का वेतन निर्धारण संलग्न फिटमेन्ट तालिकाओं के अनुसार दिनांक 1जनवरी, 2006 से प्राकल्पित तथा नकद

	–2– भुगतान दिनांक 1–4–2009 से शासनादेश संख्या:74 / XXVII (7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 में की गई व्यवस्थानुसार किया जाएगा।
2– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–41 /XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 द्वारा दिनांक 1–1–2006 के बाद सीधी भर्ती के कार्मिकों हेतु वेतनमान पृथक से अनुमन्य किये गये है। तत्पश्चात वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 74 / XXVII(7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 द्वारा प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिणिक पदों के दिनांक 1–1–2006 से स्वीकृत प्रतिस्थपित वेतनमान(रिप्लेसमेन्ट) का उच्चीकरण किया गया है। उक्तानुसार वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:302/XXVII (7) / 2009 दिनांक 27 अक्टूबर,2009 के बिन्दु संख्या:2 में निर्गत स्पष्टीकरण के आधार पर दिनांक 1–1–2006 अथवा उसके पश्चात के अधिकांश शिक्षकों से वेतन के ऐरियर की वसूली की जा रही है। फलस्वरूप उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन जारी किया जाय।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–41/XXVII(7)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं स्पष्टीकरण शासनादेश संख्या:27/XXVII(7)(स्प0–1)/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1–1–2006 को विकल्प यथावत रखते हुए उक्त तिथि से उच्चीकृत वेतनमान को नोशनली निर्धारण करते हुए दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे तथा उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे की बीच की धनराशि को ही नोशनली मानते हुए उक्त धनराशि के ऐरियर का भुगतान नहीं किया जाना है जबकि शासनादेश संख्या: 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008, शासनादेश संख्या:25/XXVII (7)द्वि0प्रति0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 तथा शासनादेश संख्या: 41/ XXVII(7) / 2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के द्वारा दिनांक 1–1–2006 से अनुमन्य प्रतिस्थापित वेतनमान में वेतनमान चूंकि कॉमन कैटेगिरी के वेतनमान प्राप्त होने के पूर्व अनुमन्य हो चुके थे और समस्त कार्मिकों को उक्तानुसार ऐरियर भी अनुमन्य हो चुके है। अतः ऐसी स्थिति में वेतनमानों के उच्चीकरण के पूर्व अनुमन्य सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर अनुमन्य ऐरियर समस्त अनुमन्य पदधारकों को भुगतान किया जाए।

2– वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या:302/XXVII(7)/2009 दिनांक 27 अक्टूबर,2009 का बिन्दु संख्या:2 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संख्या 693 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक विधालयी शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं सह स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. माध्यमिक/बैसिक शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

(1)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 4500-125-7000			
उच्चीकृत वेतनमान : 6500-200-10500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4200	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
4500	9300	4200	13500
4625	9300	4200	13500
4750	9300	4200	13500
4875	9300	4200	13500
5000	9300	4200	13500
5125	9540	4200	13740
5250	9770	4200	13970
5375	10000	4200	14200
5500	10230	4200	14430
5625	10470	4200	14670
5750	10700	4200	14900
5875	10930	4200	15130
6000	11160	4200	15360
6125	11400	4200	15600
6250	11630	4200	15830
6375	11860	4200	16060
6500	12090	4200	16290
6625	12330	4200	16530
6750	12560	4200	16760
6875	12790	4200	16990
7000	13020	4200	17220
7125	13260	4200	17460
7250	13490	4200	17690
7375	13720	4200	17920

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 5000-150-8000			
उच्चीकृत वेतनमान : 7450-225-11500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
5000	12540	4600	17140
5150	12540	4600	17140
5300	12540	4600	17140
5450	12540	4600	17140
5600	12540	4600	17140
5750	12540	4600	17140
5900	12540	4600	17140
6050	12540	4600	17140
6200	12540	4600	17140
6350	12540	4600	17140
6500	12540	4600	17140
6650	12540	4600	17140
6800	12650	4600	17250
6950	12930	4600	17530
7100	13210	4600	17810
7250	13490	4600	18090
7400	13770	4600	18370
7550	14050	4600	18650
7700	14330	4600	18930
7850	14610	4600	19210
8000	14880	4600	19480
8150	15160	4600	19760
8300	15440	4600	20040
8450	15720	4600	20320

(3)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 5500-175-9000			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
5500	13350	4800	18150
5675	13350	4800	18150
5850	13350	4800	18150
6025	13350	4800	18150
6200	13350	4800	18150
6375	13350	4800	18150
6550	13350	4800	18150
6725	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7075	13350	4800	18150
7250	13490	4800	18290
7425	13820	4800	18620
7600	14140	4800	18940
7775	14470	4800	19270
7950	14790	4800	19590
8125	15120	4800	19920
8300	15440	4800	20240
8475	15770	4800	20570
8650	16090	4800	20890
8825	16420	4800	21220
9000	16740	4800	21540
9175	17070	4800	21870
9350	17400	4800	22200
9525	17720	4800	22520

(4)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक/ अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 5500-175-9000			
उच्चीकृत वेतनमान : 7450-225-11500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
5500	12540	4600	17140
5675	12540	4600	17140
5850	12540	4600	17140
6025	12540	4600	17140
6200	12540	4600	17140
6375	12540	4600	17140
6550	12540	4600	17140
6725	12540	4600	17140
6900	12840	4600	17440
7075	13160	4600	17760
7250	13490	4600	18090
7425	13820	4600	18420
7600	14140	4600	18740
7775	14470	4600	19070
7950	14790	4600	19390
8125	15120	4600	19720
8300	15440	4600	20040
8475	15770	4600	20370
8650	16090	4600	20690
8825	16420	4600	21020
9000	16740	4600	21340
9175	17070	4600	21670
9350	17400	4600	22000
9525	17720	4600	22320

(8)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक/ अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक प्राथमिक/ अध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	14880	5400	20280
7750	14880	5400	20280
8000	14880	5400	20280
8250	15350	5400	20750
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

(छ)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार अनुसार प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500			
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 6600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
8000	18750	6600	25350
8275	18750	6600	25350
8550	18750	6600	25350
8825	18750	6600	25350
9100	18750	6600	25350
9375	18750	6600	25350
9650	18750	6600	25350
9925	18750	6600	25350
10200	18980	6600	25580
10475	19490	6600	26090
10750	20000	6600	26600
11025	20510	6600	27110
11300	21020	6600	27620
11575	21530	6600	28130
11850	22050	6600	28650
12125	22560	6600	29160
12400	23070	6600	29670
12675	23580	6600	30180
12950	24090	6600	30690
13225	24600	6600	31200
13500	25110	6600	31710
13775	25630	6600	32230
14050	26140	6600	32740
14325	26650	6600	33250

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	15600	5400	21000
7750	15600	5400	21000
8000	15600	5400	21000
8250	15600	5400	21000
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार एल0टी0 शिक्षक ग्रेड-III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 5500-175-9000			
उच्चीकृत वेतनमान : 7450-225-11500			
वेतन बैण्ड-2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
5500	12540	4600	17140
5675	12540	4600	17140
5850	12540	4600	17140
6025	12540	4600	17140
6200	12540	4600	17140
6375	12540	4600	17140
6550	12540	4600	17140
6725	12540	4600	17140
6900	12840	4600	17440
7075	13160	4600	17760
7250	13490	4600	18090
7425	13820	4600	18420
7600	14140	4600	18740
7775	14470	4600	19070
7950	14790	4600	19390
8125	15120	4600	19720
8300	15440	4600	20040
8475	15770	4600	20370
8650	16090	4600	20690
8825	16420	4600	21020
9000	16740	4600	21340
9175	17070	4600	21670
9350	17400	4600	22000
9525	17720	4600	22320

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार एल0टी0 शिक्षक ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार एल0टी0 शिक्षक ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	14880	5400	20280
7750	14880	5400	20280
8000	14880	5400	20280
8250	15350	5400	20750
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड–III का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 6500-200-10500			
उच्चीकृत वेतनमान : 7500-250-12000			
वेतन बैण्ड–2 : 9300-34800		ग्रेड वेतन : 4800	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
6500	13350	4800	18150
6700	13350	4800	18150
6900	13350	4800	18150
7100	13350	4800	18150
7300	13580	4800	18380
7500	13950	4800	18750
7700	14330	4800	19130
7900	14700	4800	19500
8100	15070	4800	19870
8300	15440	4800	20240
8500	15810	4800	20610
8700	16190	4800	20990
8900	16560	4800	21360
9100	16930	4800	21730
9300	17300	4800	22100
9500	17670	4800	22470
9700	18050	4800	22850
9900	18420	4800	23220
10100	18790	4800	23590
10300	19160	4800	23960
10500	19530	4800	24330
10700	19910	4800	24710
10900	20280	4800	25080
11100	20650	4800	25450

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	15600	5400	21000
7750	15600	5400	21000
8000	15600	5400	21000
8250	15600	5400	21000
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500			
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 6600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
8000	18750	6600	25350
8275	18750	6600	25350
8550	18750	6600	25350
8825	18750	6600	25350
9100	18750	6600	25350
9375	18750	6600	25350
9650	18750	6600	25350
9925	18750	6600	25350
10200	18980	6600	25580
10475	19490	6600	26090
10750	20000	6600	26600
11025	20510	6600	27110
11300	21020	6600	27620
11575	21530	6600	28130
11850	22050	6600	28650
12125	22560	6600	29160
12400	23070	6600	29670
12675	23580	6600	30180
12950	24090	6600	30690
13225	24600	6600	31200
13500	25110	6600	31710
13775	25630	6600	32230
14050	26140	6600	32740
14325	26650	6600	33250

शासनादेश सं० 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक हाईस्कूल ग्रेड–II का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 7500-250-12000			
उच्चीकृत वेतनमान : 8000-275-13500			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 5400	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
7500	15600	5400	21000
7750	15600	5400	21000
8000	15600	5400	21000
8250	15600	5400	21000
8500	15810	5400	21210
8750	16280	5400	21680
9000	16740	5400	22140
9250	17210	5400	22610
9500	17670	5400	23070
9750	18140	5400	23540
10000	18600	5400	24000
10250	19070	5400	24470
10500	19530	5400	24930
10750	20000	5400	25400
11000	20460	5400	25860
11250	20930	5400	26330
11500	21390	5400	26790
11750	21860	5400	27260
12000	22320	5400	27720
12250	22790	5400	28190
12500	23250	5400	28650
12750	23720	5400	29120

(17)

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाध्यापक हाईस्कूल ग्रेड–I का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 8000-275-13500			
उच्चीकृत वेतनमान : 10000-325-15200			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 6600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
8000	18750	6600	25350
8275	18750	6600	25350
8550	18750	6600	25350
8825	18750	6600	25350
9100	18750	6600	25350
9375	18750	6600	25350
9650	18750	6600	25350
9925	18750	6600	25350
10200	18980	6600	25580
10475	19490	6600	26090
10750	20000	6600	26600
11025	20510	6600	27110
11300	21020	6600	27620
11575	21530	6600	28130
11850	22050	6600	28650
12125	22560	6600	29160
12400	23070	6600	29670
12675	23580	6600	30180
12950	24090	6600	30690
13225	24600	6600	31200
13500	25110	6600	31710
13775	25630	6600	32230
14050	26140	6600	32740
14325	26650	6600	33250

शासनादेश सं0 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार प्रधानाचार्य का वेतन निर्धारण

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : 10000-325-15200			
उच्चीकृत वेतनमान : 12000-375-16500			
वेतन बैण्ड–3 : 15600-39100		ग्रेड वेतन : 7600	
पुनरीक्षण पूर्व मूल वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
10000	21900	7600	29500
10375	21900	7600	29500
10650	21900	7600	29500
10975	21900	7600	29500
11300	21900	7600	29500
11625	21900	7600	29500
11950	22230	7600	29830
12275	22840	7600	30440
12600	23440	7600	31040
12925	24050	7600	31650
13250	24650	7600	32250
13575	25250	7600	32850
13900	25860	7600	33460
14225	26460	7600	34060
14550	27070	7600	34670
14875	27670	7600	35270
15200	28280	7600	35880
15525	28880	7600	36480
15850	29490	7600	37090
16175	30090	7600	37690

संख्या 1055 /XXVIII 3 2010 84/2010

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 27 अक्टूबर, 2010

विषय: चिकित्सा विभाग के एक्स-रे टैक्नीशियन के वेतनमान को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/ विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-708/XXVII(7)/छ0प्रति0/2010, दिनांक 07.10.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक्स-रे टैक्नीशियन के पदों की दिनांक 01.01.1986 को प्राप्त वेतमान ₹ 1350-30-1440-40-1800-द0रो0-50-2200 तथा दिनांक 01.01.1996 को प्रतिस्थापित वेतनमान ₹ 4500-7000 को दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमान ₹ 4500-7000 के स्थान पर दिनांक 01.01.2006 से ₹ 5000-8000 का उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) प्राकल्पित आधार पर अनुमन्य करते हुये वास्तविक लाभ दिनांक 01.09.2010 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. यदि पूर्व वेतनमान में निर्धारित वेतन में पदधारक का मूल वेतन उक्त पे बैंड ₹ 9300-34800 के बीच पड़ रहा है, तो उनको प्राप्त हो रहे मूल वेतन को संरक्षित कर मात्र ग्रेड वेतन के अन्तर की धनराशि ही अनुमन्य होगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-4282/XXVII(7)/छ0प्रति0/2010, दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृ0संख्या-1055 /XXVIII-3-2010-84/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 200 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
10. श्री महेश चन्द्र भट्ट, महा सचिव, उ0 एक्स-रे टै0 ए0, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा।
11. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्या–2761/XV-2/1(04)/2006

प्रेषक

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक
मत्स्य विभाग,
देहरादून।

2. सचिव,
उततराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–02

देहरादून, दिनांक 8 नवम्बर, 2010.

विषय – **वेतन विसंगति समिति के छठवें प्रतिवेदन में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कार्मिकों को पंचम वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनादि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में वित्त (वेतन आ0–सा0नि0) अनु0–7, उत्तराखण्ड शासन के परिपत्र संख्या–711/XXVII(7)छ0प्रति0/2010, दिनांक 07–10–2010 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कार्मिकों को दिनांक 01–01–86 से प्राप्त चतुर्थ वेतनमान के स्थान पर दिनांक 01–01–96 से प्रभावी पंचम वेतनमान प्राकल्पित आधार पर अनुमन्य करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त पंचम वेतन समिति में वेतन के निर्धारण हेतु राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण हेतु समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

3. दिनांक 01–01–96 से दिनांक 31–12–2005 तक का कोई एरियर देय नही होगा और दिनांक 01–01–2006 से देय ऐरियर का भुगतान समानुपातिक आधार पर 3 वर्षो में किया जायेगा और ऐरियर की धनराशि को सम्बन्धित कार्मिक के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–4243/XXVII(7)/2010, दिनांक 2–11–2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–2761/XV-2/1(04)2006–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5. वित्त–4/वित्त (वे0आ0–स0नि0)अनु0–7, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव–मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी को संज्ञा-नार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 पंत)
अप. सचिव।

संख्या- 986 /X-3-10-4(33)/2005

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल वन विकास निगम,
देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3

देहरादून : दिनांकः- 22 नवम्बर, 2010

विषयः- उत्तरांचल वन विकास निगम के लेखा संवर्ग के पदों के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ई-6230/वेतन भत्ते/लेखाकार दिनांक 15 मार्च, 2010 के क्रम में प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-710/XXVII(7) छ0प्रति0/2010 दिनांक 07 अक्टूबर, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल वन विकास निगम में लेखा संवर्ग में लेखाकार पद का वेतनमान ₹ 5000-8000 (वर्तमान वेतन बैण्ड ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4200) को संशोधित करते हुए ₹ 5500-9000 (वर्तमान वेतन बैण्ड ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4200) दिनांक 01.04.2001 से प्राकल्पित रूप से तथा दिनांक 01.09.2010 से वास्तविक रूप से तथा सहायक लेखा प्रबन्धक पद के वेतनमान ₹ 6375-9000 को संशोधित करते हुए ₹ 7450-225-11500 (वेतन बैण्ड ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4600) दिनांक 01.04.2001 से प्राकल्पित रूप से तथा वेतनमान ₹ 7450-225-11500 (वेतन बैण्ड ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4600) को ₹ 7500-250-12000 (वेतन बैण्ड ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4800) दिनांक 01.01.2006 से प्राकल्पित आधार पर तथा दिनांक 01.09.2010 से वास्तविक रूप से भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जो भी वेतनमान प्राकल्पित रूप से निर्धारित होता है, उसमें मात्र वेतन का निर्धारण होगा और उक्त अवधि का कोई भी अवशेष अनुमन्य नहीं होगा।

3- इस वेतनमान को लागू करनें पर अतिरिक्त अल्प व्यय भार को उत्तरांचल वन विकास निगम स्वयं अपने संसाधनों से वहन करेगा। इस प्रयोजन हेतु शासन से काई वित्तीय सहायता की मांग नहीं की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-4117/XXVII(7)/2010 दिनांक 19 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या- 986 /X-3-10, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त(वि0आ0-सा0नि0)अनु0-7 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-4, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या:731/XXVii(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 01 दिसम्बर 2010

विषय:–राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों (सहायता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 का स्ष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न कर्मचारियों के संघो द्वारा यह जिज्ञासायें की जा रही है कि दिनांक 1–1–2006 को नये वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप यदि किसी वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन अपने कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाता है तो वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन अपने कनिष्ठ कर्मचारी के समान करने की क्या व्यवस्था होगी।

इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–10 के आधार पर ऐसे प्रकरणों में जहां पर दो वर्तमान वेतनमानों, को एक ही वेतन बैण्ड तथा एक ही ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया गया, यदि कनिष्ठ कर्मचारी वेतन संशोधन के पूर्व अपने से वरिष्ठ कर्मचारी के समान अथवा कम वेतन पा रहा हो तथा संशोधित वेतन ढांचे में वेतन बैण्ड में वह अपने वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करें, तो वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन बैण्ड में वेतन उसी दिनांक से कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाए तथा वरिष्ठ कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि उसी तिथि को अनुमन्य होगी, जिस तिथि को उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–8 के अनुसार इन्हें वेतन वृद्धि अनुमन्य हो रही है तथा इसमें अग्रेत्तर वेतन वृद्धि के लिए किसी प्रकार का प्ररिर्वतन नहीं किया जाऐगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 731 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल ।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव ।

संख्या: 7[illegible] / XXVII(7) / 2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:16दिसम्बर 2010

विषय:–प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढॉचें के पुर्नगठन के संबंध में लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर प्रदेश के राजकीय वाहन चालक संवर्ग के सवंर्गीय ढॉचें का पुर्नगठन एवं वर्तमान पदधारकों के पुनरीक्षित ढॉचें में समायोजन की व्यवस्था शासनादेश संख्या:108 / XXVII(7) / 2006 दिनांक 03 जुलाई,2006, संख्या:202 / XXVII(7)रा0वा0चा0 / 2006 दिनांक 19 सितम्बर,2006 एंव संख्या:287 / XXVII(7) / 2006 दिनांक 15 दिसम्बर,2006 द्वारा की गई थी।

2. ऐसे मामलों में जहां सवंर्ग पुर्नगठन / सेवा शर्तो में संशोधन सहित उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया जाना हो, वहां उच्चीकृत वेतनमान का लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिये जाने की सामान्य व्यवस्था है, परन्तु अलग–अलग विभागों द्वारा शासनादेश भिन्न–भिन्न तिथियों में निर्गत करने के फलस्वरूप संबंधित पदधारकों को इसका लाभ अलग–अलग तिथियों से अनुमन्य होने की स्थिति के दृष्टिगत शासन के एक ही निर्णय से आच्छादित विभिन्न विभागों में विद्यमान सामान्य संवर्ग के पदों के वेतनमान में संशोधन / उच्चीकरण का लाभ शासन द्वारा लिये गये निर्णय से संबंधित विभागों को सूचित करने हेतु निर्गत परिपत्र की तिथि से अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की गई हैं। उक्त के कम में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 03 जुलाई,2006 एवं इस कम में निर्गत अन्य शासनादेशों द्वारा लिये गये निर्णय के कम में वाहन चालक संवर्ग के पुर्नगठन एवं इसके फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर वर्तमान पदधारकों के समायोजन का लाभ दिनांक 03 जुलाई,2006 से ही अनुमन्य कराया जाना है।

3. उक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने की मुझसे अपेक्षा की गई है कि आपके अधीनस्थ विभागों में विद्यमान वाहन चालक संवर्ग के पदों को उपरोक्त व्यवस्थानुसार पुर्नगठन एवं इसके फलस्वरूप उपलब्ध पदों के सापेक्ष वर्तमान पदधारंकों के समायोजन हेतु यथावश्यक आदेश / संशोधनादेश निर्गत करने का कष्ट करें। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान पदधारकों के एकमुशत एव

एक बार समायोजन हेतु शासनादेश दिनांक 03 जुलाई,2006 द्वारा निर्धारित ट्रेड टेस्ट की परीक्षा को इग्नोर किया जाऐगा। एकमुशत समायोजन के उपरान्त संवर्ग के विभिन्न ग्रेड के रिक्त रह गये पदों को पदोन्नति की निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए भरा जाएगा।

4. शासनादेश दिनांक 03 जुलाई, 2006 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 795 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः—1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालध्यक्ष, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

2. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः857 XXVii(7)न0ः ति0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
विधालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 08 मार्च, 2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में विद्यालयी शिक्षा विभाग के शैक्षिक संवर्ग के वेतनमान इस शर्त के अधीन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग प्रतिस्थापित किये गये कि शैक्षिक संवर्ग एवं प्रशासनिक सवंर्ग पृथक–पृथक किये जायें। शैक्षिक संवर्ग के छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में वेतनमान भारत सरकार से प्रतिस्थापित किये जाने के फलस्वरूप इससे उपर प्रशासनिक संवर्ग के वेतनमान उक्तानुसार प्रतिस्थापित न होने के कारण इस संवर्ग के वेतनमानों में विसंगति उत्पन्न हो गयी है। इसके साथ ही यह भी तथ्य प्रस्तुत किये गये कि उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के मध्य एंव केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य उक्त श्रेणी के पदों/वेतनमानों में आपसी समकक्षता नहीं है।

अतः समिति संस्तुति करती है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग के उप निदेशक के पूर्व वेतनमान ₹ 10650–15850 को वेतनमान ₹ 12000–16500 में संशोधित करते हुए पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 7600, संयुक्त निदेशक के पूर्व वेतनमान ₹ 12000–16500 को वेतनमान ₹ 14300–18300 में संशोधित करते हुए पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹ 37400–67000 ग्रेड पे ₹8700 तथा अपर निदेशक के पूर्व वेतनमान ₹ 14300–18300 को वेतनमान

₹ 16400–20000 संशोधित करते हुए पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹ 37400–67000 ग्रेड पे ₹ 8900 भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समान समतुल्यता के आधार पर अनुमन्य किया जाए।

2– उक्तानुसार संशोधित/पुनरीक्षित वेतनमान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च,2009 के आधार पर दिनांक 01 जनवरी,2006 से प्राकल्पित आधार पर तथा वास्तविक लाभ दिनांक 01–04–2009 से देय होगा।

3– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः96/ XXVii(7)न0 प्रति0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 08 मार्च,2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों से इतर स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों के वेतनमान ₹ 6500–10500 का ₹ 7450–11500 में संशोधन के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः483/XXVII(7)/द्वि0प्रति0/2010 दिनांक 12 मार्च,2010 द्वारा राजकीय विभागों के दिनांक 1–1–2006 के पूर्व ₹ 6500–10500 के वेतनमान को ₹ 7450–11500 वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹ 4600 में उच्चीकृत किया गया है किन्तु राज्य के स्थानीय निकाय सार्वजनिक उपक्रम तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के संबंध में उक्तानुसार निर्णय न लिये जाने के कारण उक्त श्रेणी के कार्मिकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 12 मार्च,2010 के अनुसार उच्चीकृत वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं हो पा रहा है।

अतः इस संबंध में समिति द्वारा संस्तुति की गई कि इस संबंध में यथास्थिति विभाग अपने निदेशक मण्डल/बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक उधम विकास विभाग की सहमति से राज्य सरकार के अनुरूप ₹ 6500–10500 के वेतनमान को ₹ 7450–11500 के वेतनमान में अर्थात ₹ 4200 की ग्रेड पे से संगत वेतन बैण्ड में ₹ 4600 की ग्रेड पे में उच्चीकृत किये जाने पर विचार कर सकता है।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः 862XXVii(7)न0प्रति0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव / सचिव,
उच्च शिक्षा,तकनीकी शिक्षा,
संस्कृत शिक्षा, कृषि विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादूनःदिनांकः 08 मार्च, 2011

विषयः—वेतन विसंगति समिति द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य के विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः—वे0आ0—481 / दस / 2006 दिनांक 21 मई,2006 द्वारा शिक्षण संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों एवं कर्मचारियों तथा राज्य के विश्वविद्यालय / कृषि विश्वविद्यालय में कुल सचिव पद का दिनांक 1—1—86 से पूर्व वेतनमान ₹3200—4875 को दिनांक 1—1—96 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान ₹10650—15850 अनुमन्य किया गया है तथा इसी प्रकार शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्याः122 / XXiV(6) / 2009 दिनांक 2 मार्च,2009 द्वारा दून विश्वविद्यालय के लिए कुल सचिव वेतनमान ₹10650—15850 में सृजित किया गया है।

अतः समिति संस्तुति करती है कि समस्त विभागों के अन्तर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिव के पद का दिनांक 1—1—86 से पूर्व वेतनमान ₹3200—4875 को दिनांक 1—1—96 से नोशनली ₹10650—15850 के पुनरीक्षित वेतनमान में तथा दिनांक 1—1—2006 से शासनादेश संख्याः395 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक—1 अनुसार प्रतिस्थापित वेतनमान वास्तविक आधार पर अनुमन्य किया जाए।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः 863 XXVii(7)न0प्रति0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 08 मार्च, 2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति द्वारा पंचायतीराज विभाग के जिला पंचायतो में लेखा संवर्ग के पदों पर राजकीय विभाग के लेखा संवर्ग के पदों के समान वेतनमान व संवर्गीय ढांचा अनुमन्य किये जाने के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायतों में लेखा संवर्ग के पदों पर राजकीय विभाग के लेखा संवर्ग के पदो के समान वेतनमान व संवर्गीय ढाचां अनुमन्य किये जाने के संबंध में समिति द्वारा निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) विभागीय एवं अनुभागीय लेखा के पदों को समाप्त कर दिया जाए।

(2) जिला पंचायतों में सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती की व्यवस्था वर्तमान मे उपलब्ध नहीं है। सहायक लेखाकार के पद पर राजकीय विभागों की भांति शैक्षिक अर्हता निर्धारित करते हुए इस पद को शत–प्रतिशित सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था की जाए परन्तु मृत संवर्ग घोषित लेखा लिपिक पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत पदधारकों की सहायक लेखाकार के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था पूर्व की भांति बनाये रखी जाए जब तक की लेखा लिपिक के वर्तमान समस्त पदधारक प्रोन्नत न हो जायें। द्वितीय श्रेणी लिपिक लिपिकीय संवर्ग में ही प्रोन्नति पायेगें।

(3) जिला पंचायतो में लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान होने की स्थिति को देखते हुए सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु यह व्यवस्था की जाए कि लेखाकार के पदो पर पदोन्नति मौलिक आधार पर नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों से की जायेगी, जिन्होने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और लेखाकार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(4) जिला पंचायतों के सहायक लेखाकार के पद पर ₹ 4000–6000 के स्थान पर ₹ 4500–7000 तथा लेखाकार के पद पर ₹ 5000–8000 के स्थान पर ₹ 5500–9000 के उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाए।

(5) कुछ जिला पंचायतो में केवल लेखाकार के पद है और भविष्य में सीधी भर्ती सहायक लेखाकार के पद पर ही की जायेगी, की व्यवस्था को देखते हुए ऐसी जिला पंचायतों जिनमें केवल लेखाकार के पद है, में पद रिक्त होने पर सहायक लेखाकार के पद की रिक्ति मानी जाए और सीधी भर्ती सहायक लेखाकार के पद पर ही की जाए। निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति पर संबंधित पदधारकों को पद सहित लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है।

(6) उपर्युक्त संस्तुतियां को लागू किये जाने की दशा में आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को जिला पंचायतों द्वारा ही वहन किया जाएगा।

जिला पंचायतों में अन्य केन्द्रीयत सेवाओं की भांति लेखा संवर्ग का राज्य स्तरीय संवर्ग राजकीय विभागों के समान बनाया जाय।

2– कृपया उपयुक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करते यथावश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः 865 XXVII(7)न0प्रति0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
चिकित्सा,स्वास्थय एंव परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः08 मार्च, 2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति द्वारा चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग को नॉनफक्शनल वेतनमान दिये जाने के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18–11–2009 द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग के इन्ट्रीग्रेड (सेवा में प्रवेश के समय) को ₹ 4500–7000 ग्रेड पे ₹ 2800 तथा 02 वर्ष के बाद फार्मासिस्ट ग्रेड–2 एवं ग्रेड–1 का वेतनमान ₹ 5000–8000/ ₹ 5500–9000 को समायोजित कर ग्रेड पे ₹ 4200 नॉनफक्शनल पद/वेतनमान अनुमन्य किया गया है। चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग के इन्ट्रीग्रेड ₹ 4500–7000 के पदोन्नति पद का वेतनमान 5500–9000 हेतु निर्धारित सेवा अवधि 05 वर्ष है।

अतः समिति संस्तुति करती है कि प्रदेश के चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट के इन्ट्रीग्रेड(सेवा में प्रवेश के समय) ₹ 4500–7000 के पदोन्नति पद हेतु निर्धारित सेवा अवधि 05 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त नॉनफक्शनल वेतनमान ₹ 5500–9000 ग्रेड पे ₹ 4200 तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः 867 XXVii(7)न0प्रति0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
चिकित्सा,स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 08 मार्च, 2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति द्वारा चिकित्सा विभाग के डेन्टल हाईजिनिस्ट पद के वेतनमान पूर्व की तिथि से दिये जाने के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के क्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल,2010 द्वारा चिकित्सा विभाग के डेन्टल हाईजिनिस्ट के वेतनमान को संशोधित करते हुए तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश दिनांक 07 मई,2010 द्वारा उक्त संवर्ग के वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से उच्चीकृत करते हुए प्राकल्पित आधार पर तथा वास्तविक/नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर,2008 अर्थात छठे वेतनमान अनुमन्य किये जाने की तिथि से अनुमन्य किये गये है।

2– अतः समिति संस्तुति करती है कि उक्त श्रेणी के कार्मिकों को दिनांक 1–1–2006 से प्राकल्पित आधार पर वेतनमान अनुमन्य किया जाए और वास्तविक रूप से उक्त लाभ अनुमन्यता की तिथि शासनादेश दिनांक 15–4–2010 के अनुरूप ही रहेगी।

3– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः 868 XXVii(7)न0प्रति0 / 2011

प्रेषक,

शरद चन्द्र पाण्डे,
अपर सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 08 मार्च, 2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति द्वारा वित्त आयोग निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों को सचिवालय कार्मिकों के समान सचिवालय भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग के पत्र संख्याः–आर0जी0–818 / दस–2010 दिनांक 19 अगस्त,2010 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वित्तीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के अधिकारी / कार्मिकों को वित्त (सामान्य) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः आर0जी0–320 / दस–2009 दिनांक 08–04–2009 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों एंव सचिवालय स्तर पर गठित कार्यालयों के कर्मचारी अधिकारियों को सचिवालय विशेष भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है।

अतः समिति संस्तुति करती है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के वित्त आयोग निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों को सचिवालय विशेष भत्ता अनुमन्य किया जा रहा है उसी प्रकार वित्त आयोग निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों को सचिवालय भत्ता अनुमन्य किया जाए।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव,वित्त।

संख्या:873 XXVii(7)न0प्रति0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादून:दिनांक:08 मार्च, 2011

विषय:—वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के तकनीशियन सवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गई है:—

(क) प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ

1— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन के पदों पर दिनांक 01—01—2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य कमशः वेतन बैण्ड—1 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800 / — तथा वेतन बैण्ड—2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200 / — यथावत बनाये रखे जायें।

2— प्रयोगशाला सहायक(ग्राम्य) के पदों पर ₹ 3200—4900 का उच्चीकृत / संशोधित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड—1 ₹ 5200—20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2000 / —) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाये। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के वर्तमान पदधारकों को सी.एच.सी. तथा उच्च स्तर के अस्पतालों का कार्य अनुभव प्राप्त कराने हेतु उक्त सादृश्य वेतन बैण्ड—1 ₹ 5200—20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2000 / — तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराये जाये। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के वर्तमान पदधारकों को सी.एच.सी. तथा उच्च स्तर के अस्पतालों का कार्य अनुभव प्राप्त कराने हेतु उक्त अस्पतालों में उनकी तैनाती की व्यवस्था की जाये। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर वर्तमान में कार्यरत पदधारकों जिन्होंने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा सी. एच.सी. तथा उच्च स्तर के अस्पतालों में 06 माह का कार्य अनुभव हो, में से चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाये।

3– जन चिकित्सा के अन्य विभागों सहित पशु चिकित्सा के अन्तर्गत उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के पदों पर शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाए। सीधी भर्ती हेतु इटरमीडिएट (विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फेकल्टी/महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन का डेढ़ वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित की जाए और संबंधित पदों पर समान वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) अनुमन्य कराये जाये। संबंधित विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरूप 03 माह के सेवा कालीन विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी जा सकती है। सभी विभागों में इस स्तर के विभिन्न पदनामों (प्रयोगशाला सहायक, प्राविधिज्ञ सहायक तथा प्राविधिज्ञ आदि) से उपलब्ध पदों का पदनाम प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टेक्नीशियन) रखा जाए।

(ख) एक्स–रे–टेक्नीशियन

1– प्रदेश के एक्स–रे–टेक्नीशियन पद पर दिनांक 01 जनवरी,2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में ₹ 5000–8000 के वर्तमान वेतनमान का सादृश्य वेतन बैण्ड–2(₹ 9300–34800) तथा ग्रेड वेतन ₹ 4200/– तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य करा दिया जाए।

2– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के एक्स–रे–टेक्नीशियन संवर्ग में वरिष्ठ एक्स–रे–टेक्नीशियन का पर्यवेक्षीय पद वेतनमान ₹ 7450–11500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/– में कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सृजित किया जाए।

3– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के एक्स–रे–टेक्नीशियन संवर्ग में मुख्य एक्स–रे–टेक्नीशियन के पर्यवेक्षीय पद के सृजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभाग/संवर्ग की कार्यात्मक आवश्यकता/कार्यों की गुणवत्ता के आलोक में परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाए।

4– एक्स–रे–टेक्नीशियन संवर्ग के पदों पर विभिन्न भत्ता एवं सुविधाओं के संबंध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां तथा स्थान अलग से दी जायेगी।

(ग) अन्य टेक्नीशियन

1– लैब टेक्नीशियन/एक्स–रे–टेक्नीशियन के पदों को छोड़कर अन्य तकनीशियन संवर्ग के पदों पर निम्न व्यवस्था रखी जाए:–

(i) इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा संबंधित ट्रेड में डेढ़ वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की अर्हता के साथ ₹ 4000–6000 का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन

बैण्ड—1 ₹ 5200—20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2400/— अनुमन्य कराया जाए।

(ii) इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा संबंधित ट्रेड में डेढ़ वर्ष या डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की अर्हता निर्धारित होने की स्थिति में ₹ 4500—7000 का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड—1 ₹ 5200—20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800/— अनुमन्य कराया जाय।

2— टेक्नीशियन के जिन ट्रेडस के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था स्टेट मेडिकल फेकल्टी/स्टेट मेडिकल फेकल्टी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में नहीं है उनके संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था वेतन समिति (1997—99) मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आलोक में की जाए।

3— प्रदेश में अन्य टेक्नीशियन के संवर्ग में उच्च स्तर के पदों के सृजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाए।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः06 मार्च, 2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के सांख्यकीय संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागो के सांख्यकीय संवर्ग के संबंध में की गई निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है:–

(1) वेतन समिति(1997–99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सांख्यकीय सवंर्ग में क्रमशः अन्वेषक–कम संगणक वेतनमान ₹5000–8000, सांख्यकीय सहायक वेतनमान ₹ 5500–9000 दिनांक 1–4–2001 से अनुमन्य किया गया है। जिन विभागों में पूर्व में उत्तर प्रदेश की भांति सांख्यकीय संवर्ग गठित है तथा उन विभागों के वेतनमान दिनांक 01–04–2001 से पुनरीक्षित नहीं किये गये है उनके वेतनमान संशोधन के संबंध में वित्त विभाग के परामर्श/सहमति के पश्चात संबंधित विभाग कार्यवाही कर सकते है।

(2) प्रदेश में अधीनस्थ सांख्यकीय संवर्ग में उपलब्ध द्वि–स्तरीय ढांचे की व्यवस्था यथावत बनाये रखी जाय।

(3) अधीनस्थ सांख्यकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 ₹9300–34800 एवं ग्रेड वेतन ₹4200 को यथावत बनाये रखा जाये। संवर्ग के दूसरे स्तर के पदों पर वर्तमान वेतनमान ₹5500–9000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2, ₹9300–34800 ग्रेड वेतन ₹4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन ₹4600 को 01 जनवरी,2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए तात्कालिक प्रभाव से वास्तविक लाभ अनुमन्य कराया जाए।

(3) प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपलब्ध अधीनस्थ सांख्यकीय संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए प्रत्येक विभागीय सवंर्ग में उपलब्ध कुल

पदों के 60 प्रतिशत पद प्रथम स्तर पर तथा 40 प्रतिशत पद द्वितीय स्तर पर रखे जायें।

(4) प्रथम स्तर के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाए। सीधी भर्ती हेतु गणित/सांख्यिकी /गणितीय सांख्यिकी अर्थशास्त्र/कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित की जाए।

(5) सभी विभागों में प्रथम स्तर के पद का पदनाम सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) तथा द्वितीय स्तर के पद का पदनाम अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) रखा जाए।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त,

संख्या : 871 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 08 मार्च, 2011

विषयः– वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति की गयी है कि शासनादेश संख्या:110 / XXVII(7) / 2006 दिनांक 29 जून,2006 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु चार ग्रेडो में पूर्व में गठित आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है:–

(1) आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान में विद्यमान चार स्तरीय संवर्गीय ढॉचें के स्थान पर पदों को 50: 35: 15 के अनुपात में विभाजित करते हुए निम्नानुसार त्रि–स्तरीय ढॉचा रखा जाए:–

क्र. सं.	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन सरचना (₹)		पदों का प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता / भर्ती की विधि
		वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	आशुलिपिक	5200–20200	2800	50	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित

					गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान(डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0 सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी।)
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800	4200	35	यह पद द्वितीय स्तर के होगें। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की संतोषजनक वाले आशुलिपिक पदधारको से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800	4600	15	यह पद तृतीय स्तर के होगें। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुए न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के पदधारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

(2) ऐसे विभागीय कार्यालयों जहाँ आशुलिपिक संवर्ग में राज्य स्तरीय पुनर्गठन संभव न हो और राज्य स्तर से निचले किसी भी स्तर के कार्यालय में आशुलिपिकीय पदों की संख्या 10 से कम है, वहां आनुपातिक आधार पर पदों के विभाजन में आने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु समिति की संस्तुति है कि इस संवर्ग के पदों का विभाजन एवं पदधारकों का समायोजन निम्नानुसार किया जाय:–

संवर्ग में उपलब्ध पदों की संख्या	आशुलिपिक ग्रेड–2 वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 वेतन बैण्ड –2 ₹9300–34800 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 वेतन बैण्ड –2 ₹9300–34800 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600

(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	–	–
2	1	1	–
3	2	1	–
4	2	1	1
5	2	2	1
6	3	2	1
7	4	2	1
8	4	3	1
9	5	3	1
10	5	3	2

(3) समिति की मंशा है कि सभी विभागों द्वारा आशुलिपिक संवर्ग का राज्य स्तरीय संवर्ग गठित किया जाये ताकि प्रत्येक विभाग में नियुक्त आशुलिपिकों को प्रस्तावित त्रिस्तरीय प्रोन्नतियाँ अधिकाधिक संख्या में मिल सकें फिर भी ऐसे विभाग जहाँ आशुलिपिक संवर्ग का वर्तमान में एकीकृत संवर्ग नही है तथा एकीकृत संवर्ग बनाया जाना व्यवहारिक भी न हो वहाँ एक ही नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से नियुक्त आशुलिपिकों के जनपदीय संवर्ग/क्षेत्रीय संवर्ग/मण्डलीय संवर्ग को एक अलग इकाई मानते हुए उपरोक्तानुसार संवर्गीय पुनर्गठन कर पदनाम व पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य कराया जाय।

(4) उपर्युक्त संस्तुतियों के अनुसार संबंधित पदों पर उच्चीकृत वेतनमान का लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(5) आशुलिपिक संवर्ग के पदों का राज्य स्तर पर एकीकृत संवर्ग गठित हो जाने के फलस्वरूप यदि किसी विभाग को संवर्ग के पदधारकों को पुनर्गठन का लाभ दिये जाने में कठिनाई का अनुभव हो तो उस स्थिति में संबंधित विभाग संवर्ग को विकेन्द्रित कर उक्त पुनर्गठन का लाभ अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते है।

(6) प्र0वि0 सेवा नियमावली में इस प्रकार का संशोधन कर लें कि आशुलिपिक संवर्ग को राज्य स्तरीय बनाया जा सकें, ताकि पदोन्नति हेतु निर्धारित स्टाफिंग पैर्टन का लाभ अधिक से अधिक कार्मिकों को प्राप्त हो सकें।

(7) संबंधित सेवा नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही इन कार्यकारी आदेशों के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी की जाएगी।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त,

संख्या : 875 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
6. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या : 254/XXIV-2/11-9(09)2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 11 मार्च, 2011

विषय : **वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के क्रम में विद्यालयी शिक्षा के प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारियों के दिनांक 01–01–2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमानों का उच्चीकरण/ संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के परिपत्र संख्या : 857/XXIV (7) न0प्रति/2011 दिनांक 08 मार्च 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के कम में विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक संवर्ग के उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, एवं अपर निदेशक पदों के वेतनमानों जो शासनादेश संख्या– 395/XXVII (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को पुनरीक्षित किये गये हैं, को केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विभाग की भाँति दिनांक 01–01–2006 से प्राकल्पित आधार पर शासनादेश संख्या : 74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2009 से वास्तविक रूप से निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित वेतनमानों में सादृश्य कालम 5 व 6 में क्रमशः उल्लिखित वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन में उच्चीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –

तालिका

क्र. सं.	पदनाम	दि0 01–01–2006 से पूर्व का वेतनमान	उच्चीकृत किये जा रहे वेतनमान का दि0 1–1–06 से पूर्व वेतनमान	दि0 1–1–06 से पुनरीक्षित वेतनबैण्ड	संगत ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1	उप निदेशक/ समकक्ष पद	₹10650–15850 एवं अधिसूचना सं0 : 317/दि019 अक्टूबर 2006 द्वारा ₹ 10000–15200	₹12000–16500	वेतन बैण्ड–3 ₹15600–39100	₹7600/–
2	संयुक्त निदेशक/ समकक्ष पद	₹ 12000–16500	₹14300–18300	वेतन बैण्ड–4 ₹ 37400–67000	₹8700/–
3	अपर शिक्षा निदेशक /समकक्ष पद	₹ 14300–18300	₹16400–20000	वेतन बैण्ड–4 ₹ 37400–67000	₹8900/–

2. दिनांक 1–1–2006 से 31–3–2009 तक के प्राकल्पित आधार पर उच्चीकृत किए गए वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। उच्चीकृत वेतनमान का दिनांक 01 अप्रैल 2009 से 28 फरवरी 2011 तक देय एरियर में से आयकर काटकर संबंधित कार्मिक के सामान्य भविष्य निधि में जमा किया जाएगा। जिन कार्मिकों का उक्त खाता नहीं है और वे अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, उनके एरियर में से देय अंशदान तथा आयकर काटकर एरियर एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01 मार्च 2011 से नगद भुगतान किया जाएगा।
3. उच्चीकृत किये जा रहे उक्त वेतनमान केवल प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों पर ही लागू होगा। उपरोक्तानुसार उच्चीकृत किए गऐ वेतनमानों में वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या : 395/XXVII (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008, शासनादेश संख्या : 27/XXVII (7)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 एवं समय–समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या :4251/XXVII (7)/वित्त अनुभाग–7/2011 दिनांक 11 मार्च, 2011 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया

(मनीषा पवार)
सचिव

पृ0सं0 : 254(1)/ XXIV-2/11-9(09)2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, कुमाऊँ नैनीताल/गढ़वाल पौड़ी।
7. अपर शिक्षा निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर, टिहरी।
8. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
9. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त, प्राचार्य, डायट उत्तराखण्ड।
11. वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे इसकी सौ प्रतियाँ मुद्रित करके तत्काल उपलब्ध कराने काष्ट करें।
13. कार्यालय गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 854/xxvii(7)/2011
देहरादून, दिनांकः 21 मार्च,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–दिनांक 01–01–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण को निरस्त किया जाना।

उपर्युक्त विषयक छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश संख्याः 395/xxvii(7)/2010 दिनांकः17 अक्टूबर,2008 के क्रम में दिनांक 01–01–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण हेतु शासनादेश संख्याः 41/xxvii (7)/2010 दिनांकः 13 फरवरी,2009 ही निर्गत किया गया, परन्तु इसमें वेतन निर्धारण की कट ऑफ डेट का उल्लेख नहीं हो पाया है।

उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः598/xxvii (7)/2010 दिनांक 20 जुलाई,2010 द्वारा दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित निर्गत शासनादेश संख्याः395/xxvii (7)/2010 दिनांकः 17 अक्टूबर,2008 को आधार मानते हुए कट ऑफ डेट 17 अक्टूबर, 2008 रखते हुए इस तिथि के पूर्व नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण संबंधित शासनादेश संख्याः 41/xxvii (7)/2010 दिनांकः 13 फरवरी,2009 की निहित व्यवस्थानुसार किया जाएगा तथा इस तिथि के बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का संशोधित वेतन ढॉचे में प्रविष्टि वेतन का निर्धारण संगत वेतन बैण्ड के न्यूनतम में ग्रेड वेतन को जोड़ते हुए निर्धारित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार के गजट दिनांक 29 अगस्त,2008 में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक 01–01–2006 को अथवा उसके बाद नये रिक्रूटों के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का संशोधन वेतन ढांचे में निर्धारण इन नियमों की प्रथम सूची का भाग "क" का खण्ड–II वेतन बैण्ड में उस प्रारंभिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये कर्मचारियों का वेतन दिनांक 01–01–2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जाएगा तथा दिनांक 01–01–2006 से और अधिसूचना के जारी होने के तारीक के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में लागू होगा।

अतः उक्त के संबंध में विभिन्न कर्मचारियों संघो द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01–01–2006 अथवा शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2010 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 जारी होने की तिथि के बीच नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्याः598/xxvii (7)/2010 दिनांक 20 जुलाई,2010 को निरस्त करते हुए शासनादेश संख्याः41/xxvii (7)/2010 दिनांकः 13 फरवरी,2009 में उल्लिखित वेतन बैण्डों में ग्रेड वेतन के आधार पर निर्धारण किया जाए।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या : 854 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख साचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 24 मार्च, 2011

विषय:–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी सवर्ग के संबंध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 के कालम–2 के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व वेतनमान कमश: ₹2550–3200, ₹2610–3540, तथा ₹2650–4000, के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड–1–एस0, ₹4440–7400, तथा ग्रेड वेतन कमश: ₹1300/–, ₹1400/– एवं ₹1650/– के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 ₹5200–20200 एवं ₹1800/– के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन निम्नलिखित शर्तो के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:–

(i) शासनादेश संख्या:283/XXVII(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी,2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा ₹1900/– का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया गया है, उन्हें उक्त ग्रेड पे ₹1900/– वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

(ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹1300/–, ₹1400/– एवं ₹1650/– के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जाएगा, जहां पर ग्रेड पे ₹1800/– के पद कम पड़ते है (कार्यरत पदधारकों की संख्या से) वहां पर उस सीमा तक ₹1300/–, ₹1400/– एवं ₹1650/– के पद ₹1800/– के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जाएगें।

(iii) ₹1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वत: समाप्त होते जाएंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800/– ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आडटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

2– उपर्युक्त शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या : 877 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्याः 888XXVii(7)च0श्रे0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख साचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः २५ मार्च, 2011

विषयः–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत किये जाने संबंधी शासनादेश संख्याः877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 का संशोधन।

महोदय,

उक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः877/XXVII (7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रेषक में आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव, वित्त के स्थान पर राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त पढ़ा जाए।

2– शासनादेश संख्याः 877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या : 888 (1) / XXVII(7) / 2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्याः893/40(XI)/xxvii(7)11वां प्रति0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांक29मार्च,2011

विषयः–वेतन विसंगति समिति के 11वें प्रतिवेदन में राजकीय वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वित्तीय पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य हो गया है उन्हें एक बार के लिए वाहन चालक ग्रेड–1 में उच्चीकरण किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु गठित वेतन विसगति समिति द्वारा राजकीय वाहन चालक संघ की मांगों के संबंध में विचार विमर्शोपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 226/xxvii(7)/2007 दिनांक 22 अगस्त,2007 के द्वारा लागू व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे वाहन चालक जिन्हें द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के रूप में ₹4500–7000 नये वेतन बैण्ड ₹ 5200–20200 ग्रेड–पे–₹ 2800 का वेतनमान पाये हुए 3 वर्ष अथवा इससे अधिक का समय हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 के पदों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन समायोजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1)प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के रूप में ₹ 4500–7000 नये वेतन बैण्ड ₹ 5200–20200 ग्रेड–पे–₹ 2800 का वेतनमान पाये हुए 3 वर्ष अथवा इससे अधिक का समय हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 वेतनमान ₹ 5000–8000 नये वेतन बैण्ड ₹ 9300–34800 ग्रेड–पे–₹ 4200 केवल एक बार के लिए ही इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जाय कि जैसे–जैसे पदधारक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु अथवा अन्य कारण से वाहन चालक ग्रेड–1 के पद रिक्त होगें, वैसे–वैसे ग्रेड–1 के उक्त पद वाहन चालक के द्वारा धारित मौलिक पद में स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे।

(2)केवल एक बार के लिए की जा रही उक्त व्यवस्था के बाद भविष्य में ग्रेड–1 का वेतनमान केवल मात्राकृत पदों की संख्या में आने वाले पदधारकों को ही अनुमन्य होगा।

(3)उक्तानुसार आदेश निर्गत किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

2– उक्त के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 अगस्त,2007 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या 893 /40(XI)/XXVii(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्याः991 /40(x)/XXVii(7)दस0प्रति0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
चिकित्सा,स्वास्थय एंव परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07 देहरादूनःदिनांकः 30 मार्च, 2011

विषयः-वेतन विसंगति समिति द्वारा चिकित्सा विभाग के नर्सिंग संवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि चिकित्सा विभाग के नर्सेज के ढांचे में स्टाफ नर्स(उपचारिका) पूर्व वेतनमान ₹ 5000-8000 नये वेतन बैण्ड ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4200 में सिस्टर/वार्ड मास्टर पूर्व वेतनमान ₹ 5500-9000 नये वेतन बैण्ड ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4200 एवं मैटर्न, सहायक मैटर्न एवं टयूटर पूर्व वेतनमान ₹ 6500-10500 नये वेतन बैण्ड ₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4200 में सृजित है। अतः स्टाफ नर्स पूर्व वेतनमान ₹ 5000-8000 को नये वेतन बैण्ड ₹ 7450-11500 ग्रेड पे ₹ 4600,सिस्टर/वार्ड मास्टर वेतनमान ₹ 5500-9000 को ₹ 7500-12000 नये वेतन बैण्ड ₹ 9300-34800 एवं ग्रेड पे ₹ 4800 तथा प्रधान टयूटर,मैटर्न, सहायक मैटर्न एंव टयूटर के पूर्व वेतनमान ₹ 6500-10500 को ₹ 8000-13500 नये वेतन बैण्ड-3 ₹ 15600-39100 एवं ग्रेड पे ₹ 5400, में उच्चीकृत/संशोधन किया जाए।

2– समिति द्वारा उक्त प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर वेतनमान पुनरीक्षण हेतु निम्नवत निर्णय लिया गया है:–

क्र. सं.	वर्तमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था	
	पदनाम/वेतनमान (₹)	दिनांक 01 जनवरी, 2005 से लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (₹)	पदनाम/उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (₹)	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (₹)
1	2	3	4	5
1	स्टाफ नर्स/ ₹ 5000–8000	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 गेड पे– ₹ 4200	₹ 7450–11500	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड–पे ₹ 4600
2	सिस्टर/वार्ड मास्टर/ ₹ 5500–9000	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड पे– ₹ 4200	₹ 7500–12000	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड–पे ₹ 4800
3	प्रधान ट्यूटर/मैट्न/ सहायक मैट्न/ट्यूटर/ ₹ 6500–10500	वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड पे– ₹ 4200	₹ 8000–13500 /सहायक नर्सिंग अधीक्षक	वेतन बैण्ड–3 ₹ 15600–39100 ग्रेड–पे ₹ 5400

3– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश तथा सेवा नियम में संशोधन का प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या-246 /XXVIII-3-2011-47/2008

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः चिकित्सा विभाग के डेन्टल हाईजीनिस्ट को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ पूर्व की तिथि से अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के क्रम में परिपत्र संख्या-867/XXVII(7)/नौ0प्रति0/2011, दिनांक 08.03.2011 द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत डेन्टल हाईजीनिस्ट के वेतनमानों को उच्चीकृत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-271/XXVIII-3-2010-47/2008, दिनांक 15.04.2010 में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस श्रेणी के कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमान ₹ 9300-34800, ग्रेड पे 4200/- का लाभ दिनांक 01.01.2006 से प्राकल्पित आधार पर तथा वास्तविक लाभ उक्त शासनादेश दिनांक 15.04.2010 के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त के फलस्वरूप पूर्व निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 15.04.2010 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-2956/XXVII(7)/2011, दिनांक 17 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृ0संख्या-2316 /XXVIII-3-2011-47/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर विल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर विल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
9. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 200 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
12. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्या-319 /XXVIII-3-2011-142/2008

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 05 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2011

विषय: चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्टों को नॉनफंक्सनल वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-865/XXVII(7)/नौ0प्रति0/2011, दिनांक 08.03.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत फार्मासिस्टों को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त नॉनफंक्सनल वेतनमान ₹ 5500-9000 पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 9300-34800, ग्रेड पे ₹ 4200/- तात्कालिक प्रभाव से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-3063/XXVII(7)/2011, दिनांक 30 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृ0संख्या- /XXVIII-3-2011-142/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर विल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखांकार (आडिट) उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर विल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
9. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 200 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
12. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्याः 07 /XXVII(7)/27(V)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 06 अप्रैल 2011

विषयः–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन का दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक आधार पर तथा दिनांक 24–03–2011 से वास्तविक आधार पर संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1, ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1800/– में उच्चीकरण/संशोधन की व्यवस्था के स्थान पर वेतन बैण्ड–1, ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1800/– दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक (नोशनल) आधार पर पुनरीक्षित करते हुए उसका वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 24 मार्च,2011 से किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2011 केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः 07 (1)/XXVII(7)/27(V)/2011तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 10 मई, 2011

विषय: चिकित्सा विभाग के नर्सिंग संवर्ग के पदों का वेतनमान/पदनाम उच्चीकृत/संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-891/40 (X)/XXVII(7)/दस0प्रति0/2011, दिनांक 30.03.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नर्सिंग संवर्ग के पदों का निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या-2 व 3 में अंकित वर्तमान वेतनमान को कॉलम संख्या-4 व 5 में अंकित विवरणानुसार अनुसार दिनांक 01.01.2006 से प्राकल्पित रूप से उच्चीकृत/संशोधित करते हुय इसका नकद भुगतान शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था	
	पदनाम/वेतनमान (₹)	दि0 01.01.2006 से लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन (₹)	पदनाम/उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (₹)	दि0 01.01.2006 से लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन (₹)
1	2	3	4	5
1.	स्टाफ नर्स ₹ 5000-8000	वे0बै0-2, ₹ 9300-34800, ग्रेड पे ₹ 4200	स्टाफ नर्स ₹ 7450-11500	वे0बै0-2, ₹ 9300-34800, ग्रेड पे ₹ 4600
2.	सिस्टर/वार्ड मास्टर ₹ 5500-9000	वे0बै0-2, ₹ 9300-34800, ग्रेड पे ₹ 4200	सिस्टर/वार्ड मास्टर ₹ 7500-12000	वे0बै0-2, ₹ 9300-34800, ग्रेड पे ₹ 4800

3.	प्रधान ट्यूटर/मैट्रन/ सहायक मैट्रन/ट्यूटर ₹ 6500-10500	वे0बै0-2, ₹ 9300-34800, ग्रेड पे ₹ 4200	सहायक नर्सिंग अधीक्षक ₹ 8000-13500	वे0बै0-3, ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 5400

2. उपरोक्त कालम-2 के स्थान पर कालम-4 के अनुसार पदनाम का संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। उक्त पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान में वेतन का निर्धारण शासनादेश संख्या-395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17.10.2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-20/XXVII(7)/2011, दिनांक 04.05.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृ0संख्या-1331 /XXVIII-3-2011-104/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
9. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 200 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
12. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 50, /XXVii(7)30(I)(2)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
कृषि/तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा
/चिकित्सा शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 11 मई,2011

विषयः–छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या I-36/2009-U.II दिनांक 26.08.2010 (संलग्न) के द्वारा विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ महाविद्यालयों में कार्यरत् रीडर (सह प्राध्यापकों) को अनुमन्य वेतनमानों के सम्बन्ध में जारी संशोधनों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रीडर (सह प्राध्यापक) जो दिनांक 1.1.2006 को या दिनांक 1.1.2006 के बाद दिनांक 30.6.2010 तक नियुक्त हुए हों, उनका वेतनबैंड–3 में मूल वेतन ₹ 23890 तथा ए0जी0पी0 ₹ 8000 में एन्ट्री लेबल पर वेतन निर्धारित किया जाय तथा लैक्चरर तथा सहायक प्राध्यापक (चयन वेतनमान) जो उपरोक्त अवधि में पदोन्नत हुए हों उनका वेतन भी इसी प्रकिया के अनुसार निर्धारित किया जाय, ऐसे रीडर/लैक्चरर/सहायक प्राध्यापक को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन बैण्ड –4 तथा ए0जी0पी0 ₹ 9000 अनुमन्य किये जाने तथा अन्य संशोधन जिन विभागों में लागू होते हों, उनका भी प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कर सम्बन्धित विभाग उक्तानुसार पृथक से शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से जारी करेंगे।

संलग्नः– भारत सरकार का परिपत्र दिनांक 26/8/2010

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

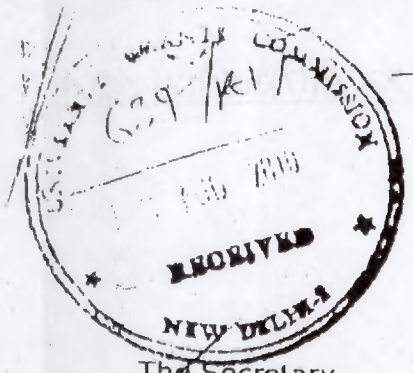

Sh. A. C. Adhikari ji (Consultant) (05946)
417 225785
27.01.2010

No. 1 36/2009-U.II
Government of India
Ministry of Human Resource Development संस्थापना -1
Department of Higher Education

PS

New Delhi, dated 26th August, 2010

The Secretary,
University Grants Commission,
Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi - 110 002.

FOR, MD RUCHITA TEWARI
FINANCE OFFICER.

Subject:- Scheme of revision of pay of teachers and equivalent cadres in universities and colleges following the revision of pay scales of Central Government employees on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

Sir,

In continuation of this Ministry's letter No. 1-32/2008-U.I/U.I (i), dated 31.12.2008 on the above subject, I am directed to say that the matter relating to revision of pay scales of University and College teachers was further considered by the Government and it has been decided as under:-

(i) Allow Rs. 43,000 as entry level pay in the Pay Band Rs. 37400-67000 (PB-4) plus an academic grade pay of Rs. 10,000 to directly recruited Principals of Under- Graduate and Post-Graduate Colleges appointed on or after 1.1.2006. Principals of Under-Graduate Colleges will continue to draw Rs. 2000 per month as Special Allowance and Principals of Post-Graduate colleges will continue to draw Rs. 3000 per month as Special Allowance attached to the posts of Principals in terms of this Ministry's letter No. 1-32/2008-U.II/U.I (i) dated 31.12.2008.

(ii) Entry pay of Readers, appointed on or after 1.1.2006 till issue of the University Grants Commission Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010, i.e., 30.06.2010, be fixed at Rs. 23,890 in PB-3 with an academic grade pay of Rs. 8000. This will also apply to Lecturers (Selection Grade) promoted during the above period. Such Readers/Lecturer (Selection Grade) after 3 years will move to minimum of PB-4 with academic grade pay of Rs. 9000.

(iii) Similarly, entry pay of Rs. 23890 in PB-3 with academic grade pay of Rs. 8000 will also apply to directly recruited Deputy Librarians and Deputy Directors of Physical Education, who will move to PB-4 with academic grade pay of Rs. 9000 after completion of 5 years, in that grade.

2. This may be brought to the notice of all concerned.

3. This issues with the approval of the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their U.O. No. 7.21/3/2009-IC dated 17.06.2010 and U.O. No. 16/11/2010-Legal dated 12/8/2010.

(H.R.Joshi)
Director